

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2015—आश्विन 28, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-1-ए-31-2015-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकवर्गीय) सेवा भरती नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में,—

1. कॉलम (4) में, अंक और शब्द “35 वर्ष” जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक और शब्द “40 वर्ष” स्थापित किए जाएं.
2. (एक) कॉलम (5) में, अनुक्रमांक 2 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
“कम से कम द्वितीय श्रेणी में कृषि या कृषि इंजीनियरिंग या उद्यानिकी में स्नातक.”;
- (दो) कॉलम (5) में, अनुक्रमांक 4 के सामने, कॉलम (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
“कृषि या उद्यानिकी में स्नातक.”;
- (तीन) कॉलम (5) में, अनुक्रमांक 5 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
“कृषि या कृषि इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या उद्यानिकी में स्नातक.”;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-1-ए-31-2015-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव

Bhopal, the 20th October 2015

No. F-1-A-31-2015-XIV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Subordinate Agriculture (Non-Ministerial) Services Recruitment Rules, 1972, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-III,—

1. In Column (4), for the figure and word "35 year", wherever they occur, the figure and word "40 year" shall be substituted.

2. In Column (5), (i) against serial number 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"at least second division in Graduation in Agriculture or Graduation in Agriculture Engineering or Graduation in Horticulture.";

(ii). against serial number 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Graduation in Agriculture or Horticulture.";

(iii). against serial number 5, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Graduation in Agriculture or in Agriculture Engineering or in Civil Engineering or in Horticulture."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.